न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 174/2017 (उदयपुर डिकी)

रामलाल पिता उंकार जी, जाति ब्राहमण, निवासी ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

प्रभूलाल दत्तक पुत्र दौलतराम जी, जाति ब्राहमण, निवासी ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिकी उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 20.05.2017, प्र.सं. 113/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री रजत मेहता अभिभाशक अपीलान्ट
3. श्री सुनील कुमार त्रिपाठी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———:::———

निर्णय दिनांक

27–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईन्टाली में आराजी नंबर 1621 व 6089/1096 कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु उक्त आराजी के पास प्रतिवादी की भूमि होने से अपनी आराजी पर जाने के बहाने आये दिन प''ुओं को छोड़ देता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 20–05–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर

प्रतिवादी को स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 12–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार त्रिपाठी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है, फिर भी प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 21–08–2017 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व कैम्प में निर्णय दोनों पक्षों की उपस्थिति में हुआ है तथा राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किया गया है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया गया है। अतः अपील इसी आधार पर निरस्त की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि राजीनामें पर अपीलान्ट की सहमति के हस्ताक्षर हैं। उक्त राजीनामें में स्पश्ट लिखा हुआ है कि उभयपक्ष राजीनामें से पाबन्द हैं तथा स्वयं अपीलान्ट का कथन है कि कैम्प की सूचना मिलने पर उसने कैम्प ईण्टाली में उपस्थिति दर्ज करायी है। इसके अलावा अपीलान्ट ने दिनांक 21–08–2017 को निर्णय की जानकारी होना बताया है इसके बावजूद भी अपील 12–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है। देरो के मामले में प्रत्येक दिन हुए विलम्ब को स्पश्ट किया जाना आव''यक होता है, जबकि अपीलान्ट द्वारा देरी के जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 27–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

रामलाल पिता उंकारजी, जाति ब्राहमण निवासी ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर

बनाम

प्रभूलाल दत्तक पुत्र दौलतरामजी जाति ब्राहमण, निवासी ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....174 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....मावली..... मुकाम.....मुवर्खे.....20.....माह.....05.... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27....माह.....08.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी.....श्री रजत मेहता.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री सुनील कुमार त्रिपाठी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....08... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।